10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

35

समक्ष—: माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र0क0—: /18 निगरानी II/ निगरानी/श्योपुर/भू.रा/2018/2018

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

1 उमाशंकर पुत्र कल्याण जाति नाई
2 पुरूषोतम पुत्र कल्याण जाति नाई
3 द्रोपती पुत्री गटटू जाति नाई
निवासीगण ग्राम कैलोर (भोजका)
तहसील कराहल जिला श्योपुर

———निगरानीकर्ता

मुकेश भार्गव — 26.3.18
18.4.18
26.3.18

बनाम

म.प्र. शासन जर्ये जिला कलेक्टर
श्योपुर म.प्र. ——गैर निगरानीकर्ता

मुकेश भार्गव
26-3-18 एडवोकेट
ग्वालियर

निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला श्योपुर (म.प्र.) के प्र0क्र03/2007—08 स्व0 निगरानी अपर कलेक्टर म.प्र. शासन बनाम अर्जुन आदि मे पारित आदेश दिनांक 30—01—2018 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1939

माननीय महोदय,

26/3/18

निगरानीकर्तागण की और से समयावधि अन्तर्गत निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य — इस प्रकार है

1 यह कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय श्योपुर ने एक शिकायती आवेदन पर से ग्राम कैलार (भोजका) तहसील कराहल जिला श्योपुर की भूमि सर्वे क0 647/1 रकबा 9 बीघा 7 विस्वा, तथा निगरानीकर्ता क्रमांक 2 पुरूषोतम के नाम भूमि सर्वे क्रमांक 623, 625, 626 कुल रकबा 2.000 हेक्टेयर एवं निगरानीकर्ता कमांक 3 द्रोपती के नाम भूमि सर्वे कमांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/श्योपुर/भूरा/2018/2018

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
6.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 03/2007-08/स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30/01/18 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:- धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन- (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व. ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना	